



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47993

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3276 वर्ष 2026

दिग्विजय सिंह और 5 अन्य

..... याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... प्रत्यर्चीगण

याचीगण के अधिवक्ता : मधुप नारायण शुक्ला

प्रत्यर्चीगण के अधिवक्ता : सी०एस०सी०

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप नारायण शुक्ला और राज्य-प्रत्यर्चीयों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. संख्या में छह रिट याचीगण का मामला यह है कि उन्हें आरंभ में 12.03.1992, 10.10.1986, 09.02.2000, 04.07.1995, 31.05.2000 और 07.02.1991 को मौसमी संग्रह अनुचर के रूप में लगाया गया था। रिट याचीगण के अनुसार, वे उत्तर प्रदेश संग्रह अनुचर सेवा नियमावली, 2004 के निबंधनों के अनुसार संग्रह अनुचर के पद पर आमेलित/नियमित किए जाने के हकदार हैं। रिट याचीगण के अनुसार, आमेलन/नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और 01.09.2025 को जिलाधिकारी, बस्ती ने आयु सीमा में छूट के लिए प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित एक पत्र भेजा था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि दिनांक 01.09.2025 के पत्र के अनुसरण में अनुचर के पद पर नियमितीकरण/आमेलन के लिए रिट याचीगण को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने और उस पर विचार करने का प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याचीगण के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रथम प्रत्यर्थी, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्व अनुभाग- 7, सचिवालय, लखनऊ के माध्यम से न्यायनिर्णयन किए जाने की आवश्यकता है।
5. ऐसे निवेदन पर, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे शालीनतापूर्वक स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षकारों के निवेदनों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि रिट याचीगण प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जो विचार करेगा और संग्रह अनुचर के पद पर नियमितीकरण/आमेलन/नियुक्ति के लिए रिट याचीगण को अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में जिलाधिकारी, बस्ती के दिनांक 01.09.2025 के पत्र पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से कार्य करेगा।
7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
8. पूर्वोक्त प्रेक्षण के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

मार्च 10, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।